न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नंबर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12 / 78 / 2024	2024 / 132	28.11.2024	27.02.2025

01. प्रवर्तन अधिकारी, अलवर जिला अलवर (राजस्थान) ।

—प्रार्थी

बनाम

01. श्री नरेश कुमार खण्डेलवाल पुत्र श्री लक्ष्मणदास, निवासी 2 क 17, काला कुंआ, अलवर राज0।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 03 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने बाबत।

उपस्थितः—

1. प्रवर्तन अधिकारी, अलवर —विभागीय प्रतिनिधि
2. श्री संजीव कारगवाल —वकील अप्रार्थी

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी अलवर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 03 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 6 ए प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया।

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी अलवर ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि दिनांक 22.10.2024 को श्रीमान जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार मैं श्री रणधीर सिंह, प्रवर्तन अधिकारी बहमराह श्री अशोक कुमार शर्मा. प्रवर्तन निरीक्षक घरेलू गैस के व्यावसायिक दुरूपयोग की जांच हेतु श्री नरेश कुमार खण्डेलवाल पुत्र श्री लक्ष्मणदास, निवासी 2 क 17, काला कुंआ अलवर की मूलचन्द लक्ष्मणदास, हलवाई, सर्राफा बाजार, अलवर (राज०) स्थित दुकान पर पहुंचे। मौके पर श्री नरेश कुमार खण्डेलवाल पुत्र श्री लक्ष्मणदास, निवासी 2 क 17. काला कुंआ, अलवर उपस्थित मिले। श्री नरेश कुमार खण्डेलवाल पुत्र श्री लक्ष्मणदास की दुकान पर 3 घरेलू गैस सिलेण्डर अवैध रूप से संग्रहित मिले। जिसका व्यावसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया। फर्द अभिग्रहण एवं फर्द सुपुर्दगीनामा पृथक से तैयार किया गया। श्री नरेश कुमार खण्डेलवाल पुत्र श्री लक्ष्मणदास द्वारा वक्त जांच घरेलू एवं व्यावसायिक गैस सिलेण्डर के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि श्री नरेश कुमार खण्डेलवाल के द्वारा घरेलू सिलेण्डर व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोग किया जा रहा था, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जारी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है।

उक्त आदेश का उल्लंघन होने के कारण उपरोक्तानुसार 3 घरेलू गैस सिलेण्डर को वजह सबूत कब्जेराज लिया गया। मौके पर उक्त कब्जेराज 3 घरेलू गैस सिलेण्डर को मै० प्रसन्ना गैस, अलवर के प्रतिनिधि श्री विनोद कुमार शर्मा पुत्र श्री हरिनारायण शर्मा, निवासी दयानगर, 60 फुट रोड, अलवर को सुपुर्द किया गया। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त 3 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने की कृपा करें।

अ...रिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
...लवर (राज०)

अप्रार्थी की ओर से वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र का लिखित जवाब पेश कर बहस में निवेदन किया कि श्रीमान प्रवर्तन अधिकारी, द्वारा मिन प्रार्थी की दुकान वाके सर्राफा बाजार, अलवर पर दिनांक 22.10.2024 को निरीक्षण किया गया। प्रवर्तन अधिकारी को मौके पर 03 घरेलु सिलेण्डर मिले। यह गलत है कि सिलेण्डरों का अवैध रुप से संग्रहण कर व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा हो बल्कि वास्तविक तथ्य इस प्रकार है कि मौके पर 03 घरेलु गैस सिलेण्डर प्रार्थी की दुकान के पीछे की तरफ स्थित कारखाना मे रखे हुए थे। चूंकि जिस समय श्रीमान प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया उस समय दीपावली के त्यौहार का सीजन था और मिठाई बनाने के लिए प्रार्थी की दुकान पर यूपी से कारीगर आये हुए थे जो दुकान के पीछे स्थित कारखाना में ही अस्थाई रुप से रिहायश कर रहे थे। जिन कारीगरों के चाय, दूध, खाना बनाने के लिए समय–समय पर गैस की आवश्यकता होती है, जिस कारण प्रार्थी द्वारा कारीगरों की चाय, खाना आदि की व्यवस्था कारखाना में ही की हुई थी, के लिए एक घरेलु गैस चूल्हा और घरेलु गैस सिलैण्डर रखे हुए थे, जिनमें से 01 सिलेण्डर खाली था और एक सिलैण्डर घरेलु गैस चूल्हा मे खाना बनाने के लिए लगाया हुआ था उसके साथ लगते हुए तीसरा गैस सिलैण्डर खाना बनाने के उपयोग हेतु भरा हुआ रखा था, जिसे किसी भी प्रकार से व्यवसायिक उपयोग में नहीं लिया जा रहा था।

यह गलत है कि मिन प्रार्थी द्वारा वक्त जांच घरेलू एवं व्यवसायिक गैस सिलैण्डर के रखे जाने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये हो, बल्कि जो 03 गैस सिलैण्डर जब्त किये गये उक्त गैस सिलैण्डर प्रार्थी के स्वंय के घरेलु गैस कनैक्शन ग्राहक खाता संख्या 15922 एवम प्रार्थी के पिता लक्ष्मण दास के पिता के घरेलु गैस कनैक्शन ग्राहक खाता संख्या 3529 पर जारी शुदा है जो वितरक अलवर गैसेज, रामगंज, अलवर के यहाँ जारीशुदा सिलैण्डर है। जिनकी पासबुक वक्त जांच प्रार्थी द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक महोदय, को दिखाई गई लेकिन उनके द्वारा यह कहते हुए सुनने से साफ मना कर दिया कि उच्चाधिकारीयों के आदेशों पर कार्यवाही है हमें कार्यवाही करनी होगी, और बगैर कागजातों की जांच किए उक्त सिलेण्डर को जब्ती की कार्यवाही प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की गई।

यह कहना गलत है कि प्रार्थी द्वारा घरेलु सिलेण्डरों का व्यवसायिक कार्य के लिए उपयोग किया जा रहा हो बल्कि मिन प्रार्थी द्वारा दीपावली के सीजन मे दुकान पर यूपी से आये कारीगरो के खाने, चाय इत्यादि की व्यवयस्था के लिए दुकान के पीछे स्थित कारखाना मे मे अस्थाई रसोई बनाकर घरेलु चूल्हा व गैस सिलैण्डर लगाकर घरेलु उपयोग हेतु मौके पर सिलैण्डर को रखा हुआ था जिन 03 सिलैण्डर में से 01 सिलैण्डर खाली अवस्था में था तथा 01 सिलैण्डर घरेलु गैस चूल्हे मे लगा हुआ आधा उपयोग किया हुआ था और 01 सिलैण्डर सील्ड घरेलु खाना पकाने के उपयोग हेतु रखा हुआ था। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार से आवश्यक वस्तुत अधिनियम 1955 के आदेश 2000 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

मौजूदा प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है जो किसी भी प्रकार से पोषणीय नहीं है। प्रार्थी वक्त जांच दिनांक 22.10.2024 को जब्त किये गये 03 घरेलु गैस सिलैण्डर को किसी भी प्रकार से व्यवसायिक उपयोग मे नहीं किया जा रहा था चूकिं स्वंय प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे यह तथ्य अंकित किया गया है कि "वक्त जांच घरेलू एवम व्यवसायिक गैस सिलैण्डर के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये।" इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जांच अधिकारी को मौके पर घरेलु गैस सिलैण्डर के अलावा व्यवसायिक सिलैण्डर भी उपयोग मे लेते हुए पाये गये थे, किन्तु जांच अधिकारी द्वारा उच्चाधिकारीयों के निर्देश पर कार्यवाही करने के आधार पर बगैर जांच मे सुनवाई का मौका प्रदान किये उक्त मनमानी कार्यवाही अमल में लाई गई है, जो पोषणीय नहीं होने के कारण काबिल खारिज है।

वक्त जांच दिनांक 22.10.20224 को दीपावली का त्यौहारी सीजन होने के कारण प्रार्थी द्वारा अपने कारोबार हेतु यूपी राज्य से कारीगर बुलाये हुए थे जिनकी अस्थाई रिहायश

27/2/25
अ. ...रिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

भी अपनी दुकान के पीछे स्थित कारखाना मे की हुई थी और वहीं पर उनके द्वारा अस्थाई रसोई बनाई हुई थी, जिन कारीगरो के चाय, दूध, खाना बनाने के लिए समय समय पर गैस की आवश्यकता होती है जिस कारण प्रार्थी द्वारा कारीगरों की चाय, खाना की व्यवस्था कारखाना मे ही अस्थाई रसोई के रुप मे की हुई थी उसके लिए एक घरेलु गैस चूल्हा और घरेलु गैस सिलैण्डर रखे हुए थे जिनमे से 01 सिलेण्डर खाली था और 01 सिलैण्डर घरेलु गैस चूल्हा मे खाना बनाने के लिए लगाया हुआ था उसके साथ लगते हुए तीसरा गैस सिलैण्डर खाना बनाने के उपयोग हेतु भरा हुआ रखा था, जिसे किसी भी प्रकार से व्यवसायिक उपयोग मे नहीं लिया जा रहा था।

मिन प्रार्थी द्वारा अपनी फर्म मैसर्स मूल चन्द लक्ष्मणदास सर्राफा बाजार, अलवर के नाम से एक व्यवसायिक गैस कनैक्शन जिसका उपभोक्ता संख्या 29430350 है, को मैसर्स अम्बेश गैस सर्विस, 17–18, अल्कापुरी शॉपिंग सैन्टर, अलवर से प्राप्त किया हुआ है (जिसकी फोटो प्रति सलग्न है) और प्रार्थी द्वारा अपनी फर्म के कारोबार मे नियमित रुप से कर्मशियल गैस सिलैण्डर का उपयोग किया जाता है और वक्त जांच प्रर्वतन निरीक्षक प्रार्थी के कारखाना मे मौके पर कर्मशियल गैस सिलेण्डर मौके पर पाया गया था जो तथ्य प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अपनी जांच एवम प्रार्थना पत्र दोनो मे अंकित की हुई है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग नही किया जा रहा था।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रर्वतन अधिकारी खारिज किया जाकर प्रार्थी के विरूद्ध अमल मे लाई गई कार्यवाही को ड्रॉप फरमाया जाकर प्रार्थी को उन्मोचित किये जाने तथा जब्तशुदा 03 घरेलु गैस सिलैण्डर को प्रार्थी को सुपुर्दगी किये जाने के आदेश मैसर्स प्रसन्ना गैस, अलवर को प्रदान किये जाने की कृपा करें।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकील अप्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना में वर्णित तथ्यों से जाहिर है कि मौके पर वक्त जांच अप्रार्थी श्री नरेश कुमार खण्डेलवाल की दुकान पर 03 घरेलू गैस सिलेण्डर अवैध रूप से संग्रहित मिले, जिनका उपयोग व्यावसायिक के कार्य के लिए किया जा रहा था। वक्त जांच अप्रार्थी द्वारा घरेलू सिलेण्डर के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि श्री नरेश कुमार खण्डेलवाल के द्वारा उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध भण्डारण किया जा रहा था। घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग किया जाना द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 व आरपीपीएल 1990 के प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना है, जो आवश्यक वस्तुत अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 6–ए स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 6–ए स्वीकार किया जाता है, जप्तशुदा उक्त 03 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पारित आदेश की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी अलवर को भिजवायी जाकर निर्देशित किया जाता है कि जप्तशुदा उक्त 03 घरेलू गैस सिलेण्डर सुपुर्दगार से नियमानुसार प्राप्त किया जाकर विधिवत कार्यवाही कर राजसात किया जाकर निस्तारण की कार्यवाही करें। उक्त निर्णय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अध्याधीन रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)